न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–25/2021

भरत गोदारा पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र रामचन्द्र } जाति जाट निवासीयान डबलीकंला तहसील टिब्बी
2. राममूर्ति पत्नी रामप्रताप } जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री रामप्रताप पत्नी विनोद जाति जाट निवासी ममेरां तहसील ऐलनबाद।
4. निर्मला पुत्री रामप्रताप पत्नी राकेश जाति जाट निवासी कालूआना तहसील डबवाली।

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 09.03.2021

वादी भरत गोदारा ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के पिता रामप्रताप के नाम से चकनं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 92/80 में कुल 6.325 है0 व चकन0 4 एम.एस.टी.एस.एम रहित के खाता सं0 55/52 में 5.566 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादी को प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीया सं0 3 व 4 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था। वादी बटवारां में प्राप्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 92/80 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम व चकन0 4 एम.एस.टी.एस. एम रहित के खाता सं0 55/52 में से प्रतिवादीसं0 1 रामप्रताप का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादी व प्रतिवादीया सं0 2 को बटवारां में प्राप्त हुई थी। हम प्रतिवादीयासं0 3 व 4 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था। वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

आराजी वादी व प्रतिवादीयासं0 2 को प्राप्त हुई है। वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार वादी व प्रतिवादीया 2 अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वाद पत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार वादी व प्रतिवादीया सं0 2 के नाम आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 92/80 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम व चकन0 4 एम.एस.टी.एस.एम रहित के खाता सं0 55/52 में से प्रतिवादीसं0 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।हम प्रतिवादीगण पूर्णतया सहमत है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आईडी की फोटो प्रतियॉ पेश की गई वादी द्वारा अपना साक्ष्य का शपथ पत्र, वारिसनामा, रामचन्द्र पुत्र माना के नाम की परचा खतौनी प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदंस्य है।वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है प्रतिवादीगण सं0 3 ता 4 ने अपना अपना हिस्सा का त्याग किया हुआ है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नही किया है व वादी के वाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है व मुताबिक वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम से अंकन करने का निवेदन किया है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक जबाबदावा के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी,सहमति का जबाबदावा, शपथ पत्र साक्ष्य, वारीसनामा व पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत पर्चा खतौनी का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चकन0 4 एम.एस.टी.एस.एम रहित के खाता सं0 55/52 में 5.566 है0 आराजी का वादी को व चकनं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 92/80 में कुल 6.325 है0 मे से 2.530 है0 भूमि की प्रतिवादीया सं0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 92/80 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम व चकन0 4 एम.एस.टी.एस.एम रहित के खाता सं0 55/52 में से प्रतिवादीसं0 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–25/2021

भरत गोदारा पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र रामचन्द्र } जाति जाट निवासीयान डबलीकंला तहसील टिब्बी
2. राममूर्ति पत्नी रामप्रताप } जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री रामप्रताप पत्नी विनोद जाति जाट निवासी ममेरां तहसील ऐलनबाद।
4. निर्मला पुत्री रामप्रताप पत्नी राकेश जाति जाट निवासी कालूआना तहसील डबवाली।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चकन0 4 एम.एस.टी.एस.एम रहित के खाता सं0 55/52 में 5.566 है0 आराजी का वादी को व चकनं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 92/80 में कुल 6.325 है0 मे से 2.530 है0 भूमि की प्रतिवादीया सं0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 2 आरपी सीएडी रहित के खाता सं0 92/80 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम व चकन0 4 एम.एस.टी.एस.एम रहित के खाता सं0 55/52 में से प्रतिवादीसं0 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...निल.....X..मुब्लिक...X..निल.....X....बाबत्...X.....निल.....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X.....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.03.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी